भारत सरकार **Government Of India**

रेल मंत्रालय **Ministry Of Railways**

(रेलवे बोर्ड) **Railway Board**

Office Order No. 56 of 2015

Sub: Delegation of Powers-Revision of Estimate/Material Modification.

In continuation of Office Order No. 29 of 2015, it has been decided by Hon'ble MR that sanction of Hon'ble MOSR may be obtained for the estimates in the following cases:

a) Variation due to other than inflationary cost escalation due to time over run (for reasons such as change of scope, standards, new sub-works and quantity variation) wherever the absolute cost escalation is above ₹ 100 crores, and

b) Variation due to material modifications or New Instrument of service exceeding ₹ 2.5 crores each.

No. 2015/O&M/5/4
Dated: 12/6/2015

(K. Krishnan)
Joint Secretary/Railway Board

All Officers and Branches in Board's Office and at Metro Bhawan, Pragati Maidan.

55/3

भारत सरकार

रेल मंत्रालय

रेलवे बोर्ड

2015 का कार्यालय आदेश सं. 56

विषय: अनुमान में संशोधन/भौतिक आशोधन के संबंध में शक्तियों का प्रत्यायोजन।

2015 के कार्यालय आदेश सं. 29 के क्रम में माननीय रेलमंत्री जी ने अब यह विनिश्चय किया है कि निम्नलिखित मामलों में अनुमानों के लिए माननीय रेल राज्य मंत्री जी की स्वीकृति प्राप्त की जाए:

क) जहां कहीं अधिक समय लगने (कार्यक्षेत्र, मानकों में परिवर्तन करने, नए उप-कार्य जोड़े जाने और मात्रा में अन्तर जैसे कारणों के लिए) की वजह से मुद्रास्फीति से भिन्न किसी अन्य कारण से सम्पूर्ण लागत में वृद्धि होने के कारण अन्तर 100 करोड़ रूपए से अधिक हो, और

ख) भौतिक आशोधन अथवा किसी नई सेवा के कारण प्रत्येक मामले में 2.5 करोड़ रूपए से ज्यादा का अन्तर हो।

सं. 2015/ओ एंड एम/5/4
दिनांक:12/6/2015

(के. कृष्णन)
संयुक्त सचिव/रेलवे बोर्ड

रेल भवन तथा मेट्रो भवन, प्रगति मैदान स्थित बोर्ड कार्यालय के सभी अधिकारी तथा शाखाएं।